न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
बद्रीलाल बनाम राज सरकार
GCMS No- 2024/277
प्रकरण संख्या 70/2024

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 70/2024
जीसीएमएस न0 2024/277

1. श्री बद्रीलाल पिता मगनीराम पाटीदार निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ..... प्रार्थी

वनाम

1. राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज० ....विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री रामचंद्र धाकड – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

दिनांक 02.08.2024

:: निर्णय ::

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है। जिसके नवीन खाता संख्या 80 आ० न० 1456 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, आ० न० 372 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, आ० न० 442 रकबा 0.7300 हेक्टेयर, आ० न0 1486 रकबा 0.0300 हेक्टेयर गे० मु० चाह, आ० न० 1487 रकबा 0.0100 ट्यूबवेल, आ० न० 782 रकबा 0.0800 हेक्टेयर गे० मु० बाडा कुल किता 4 कुल रकबा 0.3100 स्थित है।

2. प्रार्थना पत्र पेश की निवेदन किया की प्रार्थी के एक अन्य खातेदारी में भी मौजा अरनोदा तहसील निम्बाहेडा में कृषि आराजीयात स्थित है। जिसके नवीन खाता संख्या 337 आ० न० 1451 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, आ० न० 1452 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, आ० न० 1484 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, आ० न0 1490 रकबा 1.1500 हेक्टेयर, आ० न० 1507 रकबा 0.7500 हेक्टेयर, आ० न० 1509 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवैल, आ० न० 1510 रकबा 1.0000 हेक्टेयर, आ० न० 1683 रकबा 1.0400 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 4.8600 हेक्टेयर कुल स्थित होकर मुझ प्रार्थी के नाम बद्रीलाल पिता मगनीराम पाटीदार राजस्व रेकार्ड में अंकित है।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा–जिला चित्तौडगढ (राज.)

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अनुसार प्राथी श्री बद्रीलाल द्वारा [illegible] का नाम मगनीराम के बजाय हेमराज होना बताया गया जो [illegible] लाल के दादा थे जिसे शुद्ध करने बावत निवेदन [illegible] आया कि उक्त भूमियां जिनमें पिता का [illegible] के नाम नहीं आई हैं बल्कि विक्रयपत्र से [illegible] पत्र अनुसार क्रेता [illegible] बदरीलाल पिता हेमराज कुलमी निवासी अरन[illegible] है अतः प्रार्थी का आवेदन [illegible] साक्ष्य अनुसार साबित नहीं हुआ है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम विक्रय पत्र अनुसार सही है इसमें कोई त्रुटी नहीं हुई है। प्रकरण को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner

4. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्ट्या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्राथी श्री बद्रीलाल द्वारा ग्राम अरनोदा के एक खाते में पिता का नाम मगनीराम के बजाय हेमराज होना बताया गया जो कि प्रार्थी बद्रीलाल के दादा थे जिसे शुद्ध करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त भूमियां जिनमें पिता का नाम हेमराज अंकित है विरासत से प्रार्थी के नाम नहीं आई हैं बल्कि विक्रय पत्र से इनके नाम आई हैं। विक्रय पत्र अनुसार क्रेता का नाम बदरीलाल पिता हेमराज कुलमी निवासी अरनोदा है तथा प्रार्थी अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना प[illegible] अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner